जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 76वीं बैठक दिनांक 04-12-2004 को प्रातः 11.30 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 1 से 7 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) एवं एजेण्डा संख्या 8 से 15 वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट) द्वारा तैयार किया गया जिसका संकलित कार्यवाही विवरण:-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री ए.के. हेमकार, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री वी.एम. कपूर, अति.आयुक्त भूमि (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
4. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त भूमि(पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती दुर्गा जोशी, उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती पुष्पा सत्यानी, उपायुक्त जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
6. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।
7. श्री हीरालाल वर्मा, उप नगर नियोजक, जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री देवेन्द्र सैनी, सहायक नगर नियोजक, जोन-6, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा सं0 1 :- माधव गृ.नि.स.स. की योजना करणी कॉलोनी के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना में सैक्टर प्लान 19 के अनुसार सैक्टर रोड की चौडाई 40फिट ही रखी जावे व सभी आन्तरिक सडको को 30फिट किया जावे। भूखण्ड सं0 21, 40 व 41 में निर्मित क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण अनुमोदित नही किया जावे। भूखण्ड सं0 20 व 69सी में निर्मित मंदिरों को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे। भूखण्ड सं0 51बी, 50 व 11 का आवासीय नियमन किया जावे व भूखण्ड सं0 51 में स्थित कुंआ खसरा नंबर 69 में स्थित है जिसे योजना से बाहर रखा जावे।

योजना में आवासीय क्षेत्रफल 70.51% है अतः राज्य सरकार को योजना अनुमोदन के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने के लिए प्रेषित किया जावे।

एजेण्डा सं0 2 :- सुभाष सिन्धी की योजना विकास नगर विस्तार के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना को अनुमोदित किया जावे क्योंकि

योजना में आवासीय क्षेत्रफल 73.59% है अत: अंतिम निर्णय हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।

एजेण्डा सं0 3 :- भैरव गृ.नि.स.स. की योजना रूचि विहार के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना को अनुमोदित किया जावे क्योंकि योजना में आवासीय क्षेत्रफल 73.51% है अत: अंतिम निर्णय हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।

एजेण्डा सं0 4 :- संयुक्त गृ.नि.स.स. की योजना लक्ष्मी नगर के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि लक्ष्मी नगर योजना के भूखण्ड सं0 24ए, 24ई, 37ए, 37बी, 53ए व 54ए को अनुमोदित नहीं किया जावे क्योंकि यह भूखण्ड 40फिट सैक्टर रोड से प्रभावित है सैक्टर रोड को यथावत 40फिट ही रखा जावे एवं जय चामुण्डा गृ.नि.स.स. की योजना लक्ष्मी नगर के भूखण्ड सं0 61 की जारी लीजडीड को निरस्त किया जावे।इसकी भी जांच की जाए कि भू.सं. 61 का पट्टा किसके द्वारा किस आधारपर दिया गया, जबकि यह भूखण्ड सेक्टर रोड Alignment में आता है।

40फिट सैक्टर रोड के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो यह उपायुक्त जोन द्वारा सुनिश्चित किया जावे अन्यथा उपायुक्त जोन जिम्मेवार होंगे।

एजेण्डा सं0 5 :- जय अम्बे गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शांति नगर अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं0 8, 9, 18, 19 पर से 33 के.वी. की लाईन गुजर रही है एवं नियमानुसार दूरी छोडने पर शेष बचे भाग में सैट बैक उपरान्त कोई निर्मित क्षेत्रफल नहीं मिलता है अत: इन भूखण्डों को अनुमोदित नहीं किया जावे। योजना के मध्य से गुजरने वाली 30फिट चौडी सडक को 40फिट किया जावे एवं खातेदार की निजी भूमि में जब कभी भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावेगा तो इस सडक को 40फिट ही किया जावे क्योंकि योजना से अन्य कोई लिंक उपलब्ध नहीं है।

एजेण्डा सं0 6 :- श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश नगर विस्तार के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना में सुविधा क्षेत्र एक ही स्थान पर रखा जावे जो भूखण्ड सं0 99, 100, 101, 126, 127 व 128 में सृजित किया जावे तथा इन भूखण्डों का समायोजन प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र के स्थान पर किया जावे। सैक्टर रोड 80फिट व 60फिट को यथावत रखते हुए योजना अनुमोदित की जावे।

80फिट चौडी सैक्टर रोड पर प्रस्तावित दुकाने पर्याप्त गहराई की नहीं है जिन्हें अनुमोदित नही किया जावे एवं यदि सहकारी समिति द्वारा दुकाने रिप्लानिंग करके प्रस्तावित की जाती है तभी उन पर विचार किया जा सकता है।

एजेण्डा सं0 7:- भवानी निकेतन एजूकेशन एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट की भूमि में से गुजरने वाली सैक्टर-19 की सडको को निरस्त करने बाबत।

समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संस्था से किये गये इकरारनामे के अनुरूप सैक्टर 19 के प्लान में से संस्था के भूभाग से गुजरने वाली 100फिट व 160फिट चौडी सडकों को विलोपित किया जाकर आवश्यक संशोधन सैक्टर प्लान में किया जावे।

एजेण्डा सं0 8:- श्री सुरेन्द्र सिंह मुख्तयार आम श्री जगदीश सिंह की कृषि भूमि ख0नं0 90, 124, 125, 126, 123/315 एवं 124/327 ग्राम टोडी रमजानीपुरा रकबा 2.05 हैक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित ग्रीनवेली आवासीय योजना का भू-उपान्तरण बस टर्मिनल (ट्रांसपोर्ट) से आवासीय किये जाने हेतु।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। बैठक में सहकारी समिति की योजनाओं के संबंध में ही विचार करने का निर्णय लिया। निजी खातेदार की योजनाओं के लिए अलग से बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया, तब तक प्रकरण को स्थगित रखें।

एजेण्डा सं0 9:- कृष्णा को ऑपरेटिव हा. सोसायटी की योजना बाबू नगर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, योजना में आवासीय उपयोग 80.79 प्रतिशत है। सड़क की चौड़ाई 30' व 40' किए जाने पर भी आवासीय क्षेत्रफल 75.75 प्रतिशत रहता है। योजना का 15 में से 13 भूखण्ड निर्मित है। तथा प्राधिकरण आवासीय क्षेत्रफल 70 प्रतिशत तक ही नियमन कर सकता है।

अत: योजना अनुमोदन हेतु पत्रावली राज्य सरकार को भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं0 10:- श्रीमती विमला देवी भू0सं0 213 पशुपतिनाथ नगर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया तथा प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं0 11:- निजी खातेदार/ मै. अग्रवाल गार्डन प्रा. लि. की योजना रूपनगर, खसरा नम्बर 252, 253, 254, 261, 263, 281, 295 से 298 ग्राम लखेसरा, तहसील सांगानेर के रकबा 5. 21 हैक्टेयर के अनुमोदन के संबंध में।

बैठक प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। योजना निजी खातेदार की होने के कारण निजी खातेदारों से संबंधित बैठक में ही इस प्रकरण के संबंध में विचार करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं0 12:- शान्ती नगर गृ. नि. स. समिति की योजना उषा विहार के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया योजना नाले के पास है इसलिए समिति के विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि जोनल अभियंता से मौके पर नाले का डिमार्केशन व बाढ क्षेत्र का निर्धारण करवाने के पश्चात प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

एजेण्डा सं0 13:- जयपुर वाल्मिकी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विस्टल विहार के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना नाले के पास बाढग्रस्त क्षेत्र से प्रभावित है। इसलिए योजना को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं0 14:- पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना प्रेम नगर-द्वितीय के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना नाले के पास बाढग्रस्त क्षेत्र से प्रभावित है। इसलिए योजना को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं0 15:- पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गायत्री नगर विस्तार के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना नाले के पास बाढग्रस्त क्षेत्र से प्रभावित है। इसलिए योजना को अस्वीकृत करने का निर्णय लिय गया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2004/डी- 170
दिनांक :- 14|12|2004

प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त भूमि (पूर्व)/(पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट/एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन ..... जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।